न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर एक्ट संख्या 64/2018/जिला टोंक

जगदीश बनाम धापू

दिनांकः—07.09.2022

आदेश

संक्षिप्त में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा में ही जगदीश बनाम धापू नाम से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा दिनांक 06.09.2011 प्रस्तुत की हुई थी। जिसका नम्बर 2012/16 था जो दिनांक 14.06.2018 को न्यायालय द्वारा अदम तकमील में खारिज कर दी गई। क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 धापू के कायम मुकाम बाबत कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का गरीब काश्तकार व्यक्ति है। पुनः अपील को नम्बर पर लिया जायें। गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में जगदीश ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी के अनुसार धापू पत्नि बद्रीनारायण के निम्न विधिक वारिसान है— 1. जगदीश नारायण पुत्र बद्रीनारायण , 2. नन्दलाल पुत्र बद्रीनारायण, 3. राजेन्द्र पुत्र बद्रीनारायण सभी जाति ब्राहमण ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर, जयपुर है। उपरोक्त वारिसान को मृतक को राइट टू स्यू सरवाइव करता है। अतः रेस्पो0 संख्या 1 धाफू पत्नि बद्रीनारायण का स्वर्गवास होने से उसका नाम रिकोर्ड से हटाया जाकर उसके विधिक वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जायें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में जगदीश द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के अनुसार प्रश्नगत आदेश दिनांक 14.06. 2018 की जानकारी विपक्षी से प्राप्त हुई। जब उसने यह कहा कि निर्णण हमारे पक्ष में हो गया। इस जानकारी के बाद आवश्यक कार्यवाही कर आवश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। उसके साथ जगदीश ने अपना शपथ पत्र दिया है।

ं प्रार्थना पत्रों पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने यह बताया कि धापू के वकील द्वारा 2018 से पूर्व धापू की मृत्यु की कोई सूचना नहीं थी। धापू के वकील द्वारा बहस में बताया कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। मेरे द्वारा दिनांक 10.06.2014 को धापू के पुत्र की ओर से वकालतनामा भी दिया गया था। साथ में उसकी मृत्यु की सूचना भी दी थी कि मृतक के कायम मुकाम किये जावें। जबकि धापू की मृत्यु सन 2011 में ही दिनांक 19.05.2011 को हो चुकी थी तथा 7 वर्षों तक 2018 तक कायम मुकाम नहीं किये गये। जिसकी वजह से न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2018 को पत्रावली डिसमिस इन डिफाल्ट की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:32 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर लिखे साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा की पूर्व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्समय दिनांक 10.06.2014 को अप्रार्थी रेस्पो0 की ओर से अभि0 ईश्वर देवड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र 151

सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पैरा 2 यह बताया गया था कि रेस्पो0 धापू बेवा बद्रीनारायण की मृत्यु हो चुकी है। पैरा 3 में यह अंकित किया था कि प्रार्थना पत्र अपीलांट व न्यायालय के सूचनार्थ पेश है। अंत में यह निवेदन किया कि अपीलांट को आदेश/निर्देश दिये जाये कि वह मृतक रेस्पो0 धाफू के वारिसान को रिकोर्ड पर लिये जाने हेतु कायम मुकाम की कार्यवाही करें। उक्त प्रार्थना पत्र सामने वाले पक्ष को रिसीवड करवाया हुआ है। दिनांक 10.06.2014 से ही वकील प्रार्थी को धापू के स्वर्गवास की सूचना दे दी गई थी। मगर उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक वाद , अपील या आवेदन पत्र विहित समय अवधि में प्रस्तुत कर दिया जायें। यदि यह विहित समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाते है तो खारिज कर दिये जायेंगे। आदेश 22 नियम 4 के अनुसार एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है। वहां उस निमित किये आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिवादी को पक्षकार बनवायेगा और वाद में अग्रसर होगा जहां विधि द्वारा परिसिमित समय के अंदर कोई आवेदन उपनियम 1 के अधीन नहीं किया गया। वहां वाद का जहां तक मृत प्रतिवादी के विरूद्ध है, वहां उपसमन हो जायेगा। आदेश 22 नियम 9 के तहत उपसमन होने का क्या प्रभाव होगा यह बताया गया। जहां वाद का इस आदेश के अधीन उपसमन हो जाता है या वह खारिज किया जाता हैं और कोई भी नया वाद इस वाद हेतु नहीं लाया जायेगा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह नहीं बताया कि दिनांक 14.06.2018 के आदेश की जानकारी उसे किस दिनांक को हुई तथा किस व्यक्ति के द्वारा यह बताया गया। जबकि स्वयं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षीगणों को अन्य गांव का निवासी होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक वाइज देरी को स्पष्ट नहीं किया है तथा विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी क्लीन हैंड से नहीं आया है। जबकि वकील अप्रार्थी द्वारा धापू की मृत्यु अपील दायरी से पूर्व होना बहस में बताया है। फिर भी दिनांक 10.06.2014 को वकील अप्रार्थी द्वारा धापू के देहांत की सूचना दे दी गई थी। मगर वकील प्रार्थी द्वारा कोई आवश्यक अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। ना ही वह क्लीन हेंड से न्यायालय में उपस्थित हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी बहुत देरी से प्रस्तुत किया गया है तथा अबेटमेंट से प्रभावित है। उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। धारा 5 प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम अस्पष्ट होने, कोई उचित कारण नहीं बताने तथा देरी के कारण स्पष्ट नहीं करने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:32 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी